



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2010/15.03.2010

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 19.04.2010

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त
करने की अंतिम तिथि- 10.05.2010

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2010 (दोपहर 12:00) से 19.04.2010 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
3. जमा आवेदन-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ स्व-प्रमाणित दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 10.05.2010 (सायं 5.30 बजे तक) निर्धारित है।

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के रीडर, प्रशिक्षण एवं स्थान अधिकारी तथा सिस्टम एनालिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निम्नानुसार दर्शाए प्रथम श्रेणी के अस्थायी पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

पद क्रमांक	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
			अना.	अनु. जाति	अनु.- जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु.- जाति	अनु.- जनजाति	अ.पि.व.	
1.	रीडर (ऐप्लाइड मेकेनिकस)	03	02 01-रीवा 01-उज्जैन	-	01 उज्जैन	-	-	-	-	-	पीएच.डी. उपाधि सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग/शोध में 3 वर्ष का अनुभव। अथवा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग में 5 वर्ष का अनुभव। ऐसे उम्मीदवार को रीडर की नियुक्ति की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के अंदर पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करनी होगी।
2.	रीडर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	11	06 04-जबलपुर 01-रीवा 01-उज्जैन	01 जबलपुर	03 01 जबलपुर 01 रीवा 01 उज्जैन	01 जबलपुर	01 जबलपुर	-	01 जबलपुर	-	पीएच.डी. उपाधि सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग/शोध में 3 वर्ष का अनुभव। अथवा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग में 5 वर्ष का अनुभव। ऐसे उम्मीदवार को रीडर की नियुक्ति की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के अंदर पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करनी होगी।
3.	रीडर (मेकेनिकल इंजीनियरिंग)	08	05 02-जबलपुर 02- रीवा 01-सागर	-	03 01 जबलपुर 01 रीवा 01 सागर	-	02 01 जबलपुर 01 रीवा	-	-	-	पीएच.डी. उपाधि सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग/शोध में 3 वर्ष का अनुभव। अथवा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग में 5 वर्ष का अनुभव। ऐसे उम्मीदवार को रीडर की नियुक्ति की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के अंदर पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करनी होगी।
4.	रीडर (सिविल इंजीनियरिंग)	13	08 04-जबलपुर 02-रीवा 01-सागर 01-उज्जैन	01 जबलपुर	03 01 जबलपुर 01 रीवा 01 सागर	01 जबलपुर	02 01 जबलपुर 01 रीवा	-	-	-	पीएच.डी. उपाधि सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग/शोध में 3 वर्ष का अनुभव। अथवा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग में 5 वर्ष का अनुभव। ऐसे उम्मीदवार को रीडर की नियुक्ति की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के अंदर पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करनी होगी।
5.	रीडर (इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग)	12	08 03-जबलपुर 02-रीवा 02-सागर 01-उज्जैन	01 जबलपुर	03 01 जबलपुर 01 रीवा 01 सागर	-	03 01 जबलपुर 01 रीवा 01 सागर	-	-	-	पीएच.डी. उपाधि सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग/शोध में 3 वर्ष का अनुभव। अथवा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और व्याख्याता अथवा समकक्ष स्तर पर शिक्षण/उद्योग में 5 वर्ष का अनुभव। ऐसे उम्मीदवार को रीडर की नियुक्ति की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के अंदर पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करनी होगी।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- टीप-** (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (ii) प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र भरें।
- (iii) किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (iv) शासन द्वारा पदों की संख्या पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (v) चयनित आवेदक की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

दो पद का विवरण

- (अ) पद का नाम : रीडर, प्रशिक्षण तथा स्थानन अधिकारी तथा सिस्टम एनालिस्ट
- (ब) विभाग का नाम : तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
- (स) श्रेणी : प्रथम श्रेणी
- (द) पद स्थिति : अस्थायी
- (इ) वेतनमान : रु. 12000-420-18300/- (एआईसीटीई)
- (फ) पद के मुख्य कर्तव्य : शिक्षकीय एवं प्रशासकीय कार्य।

- तीन**
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।
2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

चार आयु सीमा- 50 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी।

आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।

पाँच मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के अन्तर्गत अर्हता -

- अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रवर्ष 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।

छ: महत्वपूर्ण-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

सात अधिवार्षिकी आयु- 62 वर्ष

आठ चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम है और इस अर्हता के होने मात्र से ही कोई आवेदक साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का हकदार नहीं हो जाता। यदि विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए इन सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षा उच्चतम अर्हताओं के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा द्वारा अथवा आयोग द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया द्वारा आवेदकों की संख्या को यथाचित सीमा तक कम कर सकेगा। यदि आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा कराई जायेगी तो उससे संबंधित समस्त जानकारी पृथक से रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में यथा समय सूचित की जायेगी। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदक को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

नौ आवेदन प्रक्रिया- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

दस प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। पृथक-पृथक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरें।

ग्यारह यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

- (i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-एक
- (ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देशों एवं जानकारियों हेतु परिशिष्ट-दो

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूटें

- (1) भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की अर्हताओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
- (3) विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

टीप:- ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवार्षिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष है)

- (4) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके

परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्याय आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (5) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट

- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप-

- (1) परिशिष्ट-एक (एक) में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।
- (2) परिशिष्ट-एक (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट- उपरोक्त एक (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. रीडर्स के लिए आवेदन पत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं-
1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
- <https://www.mponline.gov.in>
 - www.mppsc.com
 - www.mppsc.nic.in
2. आवेदन पत्र वेबसाइट पर <https://www.mponline.gov.in>, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत क्रियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर क्रियोस्क पर ही आवेदन शुल्क का नगद भुगतान कर सीधे प्राप्त कर सकते हैं।
3. आवेदक स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडोर तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. mponline के अधिकृत क्रियोस्कों की सूची <https://www.mponline.gov.in>, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
5. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। <https://www.mponline.gov.in> के KIOSK पर स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
8. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ें एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
9. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा। साथ ही आवेदक को उसके द्वारा प्रविष्टि किये गये आवेदन-पत्र की प्रति भी प्राप्त होगी जिसमें उसके द्वारा की गयी समस्त प्रविष्टियाँ उल्लेखित होंगी। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें।

***10. आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

1. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र की प्रति जिसमें पंजीयन क्रमांक का उल्लेख है कि एक छायाप्रति करायें (उक्त छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें) तथा मूल आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें तथा उसके साथ 6/- रुपये के डाक टिकट लगे दो कोरे लिफाफे संलग्न करें जिसमें प्रतिकाता के स्थान पर अपना वर्तमान पता लिखें।
2. आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न अभिलेख/कोरे लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखें। एक लिफाफे में केवल एक पद के लिये भरा गया आवेदन-पत्र ही रखें। यदि एक से अधिक पदों के

(पिछले पृष्ठ का शेष)

- लिये आवेदन कर रहे हैं तो उपरोक्त पैरा-1 के अनुसार अभिलेखों सहित पृथक-पृथक आवेदन भर्जें।
4. लिफाफे के ऊपर प्रेषक के स्थान पर अपना नाम तथा वर्तमान पता एवं लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद एवं विभाग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें। उक्त विवरण के बिना प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचारण संभव नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र पंजीयन डाक अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजें।
6. ध्यान रखें सहपत्रों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2010 को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समावधि में प्राप्त माना जायेगा।
7. आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी। आवेदन-पत्र भेजने का पता-
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी क्षेत्र,
इंदौर - 452001.

11. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

12. आवेदक <http://www.mponline.gov.in> से ही आयोग कार्यालय में अपने आवेदन-पत्र की प्राप्ति की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।

13. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिए आवेदन शुल्क रुपये 30/- देय होगा।

(ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 60/- देय होंगे।

उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रु. 35/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के के निवासी आवेदकों के लिए आवेदकों के लिए कुल शुल्क कुल शुल्क

30/- रुपये

60/- रुपये

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक (0755) 2418599, 2418600, 2418706,

मोबाइल : तनमय तिवारी 9300282449

राजेश गुर्जर 9009841980, अनिल सेठी 9977992395

(स) यदि लिखित परीक्षा आयोजित होती है तो आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

टीप आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

01. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा

02. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें:-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

(0731) 2701624, 2701983

एम.पी ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, हौशंगावाड रोड, भोपाल-422026

फोन : (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617, कॉल सेंटर- 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री)

मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) विपुल- 9424719269, तनमय तिवारी- 3900282449 एवं राजेश गुर्जर- 9009841980

3. आवेदन की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19.04.2010 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

(ब) प्रमाणित सहपत्रों सहित आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 10.05.2010 (सायं 5.30 बजे तक) है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4. आवेदक आयोग को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें-

आयु संबंधी प्रमाण के लिये:- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

अनुभव के प्रमाण-पत्र- अनुभव प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण-पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्राथमिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी

हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाण हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह के पश्चात् क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें।) अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कड़िका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-एक की कड़िका-(एक-3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परिवर्तित तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कड़िका-(एक-4 से 5 तक) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कड़िका-(दो-1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कड़िका-(दो-2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कड़िका-(दो-3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचयन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. अनुशासनिक निर्देश -

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

- जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राय किया हो; या
- प्रतिरूपण किया हो; या
- किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
- परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
- परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
- परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
- उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
- परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-

(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी बशर्तें इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञापन की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. अनर्हताएँ:-

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9. यात्रा व्यय का भुगतान -

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपने निवास स्थान के निकटतम परीक्षा केन्द्र को ही भरें। उन्हें उनके निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र तक का ही यात्रा व्यय देय होगा। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। अतः वे मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा।
- साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।